आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0....15..../17–18

राज्य बनाम हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19J-4807

राज्य बनाम हीरो आई स्मार्ट रजिस्ट्रेशन नं0– A/F

(इंजन नं0– HA12EMGHC-12632, **चेचिस नं0–** MBL-HA12AEGE-10429)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.7.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में सिमरी बख्तियारपुर थाना कांड संख्या–405/16 दिनांक– 22.11.16/ 23.11.16 में बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30 (a) के तहत हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19J-4807 और हीरो आई स्मार्ट रजिस्ट्रेशन नं0– A/F (इंजन नं0– HA12EMGHC-12632, चेचिस नं0– MBL-HA12AEGE-10429) को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि सिमरी बख्तियारपरु थाना कांड संख्या–405/16 दिनांक– 22.11.16/23.11.16 अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर के निर्देश के आलोक में पुरबिया एक्सप्रेस से उतरे यात्रियों के भाड़ी बैग को चैक किया गया तो दो तीन लड़को को अलग–अलग ट्रॉली लेकर नवाव मार्केट के सामने मोटर साईकिल पर ट्रॉली रखकर चलने से पूर्व ही बल एवं पदाधिकारियों के सहयोग से पकड़ लिया गया। दोनो ट्रॉली को चैक किया गया तो (1) एक मझोले रंग के मंहयम रंगली ट्रॉली बैग से 12 बोतल रॉयल स्टैग 750 एम0एल0 वाली अंग्रेजी शराब मिला था। (2) दूसरे काई रंग की ट्रॉली को चैक करने पर 15 बोतल रॉयल स्टैग 750 एम0एल0 शराब पाया गया। दोनों की जप्ति सूची बनाई गई।	

11.7.18

साथ वे तीन लड़के और दोनो मोटर साईकिल गिरफ्तार/जप्त कर लिये गए। उक्त विदेशी शराब और मोटर साईकिल को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जप्त वाहन से अवैध विदेशी शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जप्त मोटर साईकिल का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।

विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि उक्त हीरो मोटर साईकिल एसप्लेण्डर आई स्मार्ट जिसका रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19J-6717 है। विपक्षी का मोटर साईकिल किसी भी उत्पाद वस्तु को ढ़ोने या रखने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। विपक्षी स्वंय अपने चढ़ने के लिए मोटर साईकिल का उपयोग करता है। मोटर साईकिल राज कुमार उर्फ खरकन द्वारा मांग कर ले जाया गया था तथा उसी के पास से शराब बरामद हुआ था। जबकि हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19J-4807 रणवीर कुमार का है, जो अपने भाई को स्टेशन से लाने गया था। मोटर साईकिल किसी भी प्रकार के उत्पाद के कार्यो में संलिप्त नहीं रहता है।

इनके वाहन से शराब परिवहन नहीं किया गया है न तो ऐसा अभिकथन है और न ही इस सम्बन्ध में इनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जप्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन एवं मकान का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जप्त हीरो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19J-4807 और हीरो आई स्मार्ट रजिस्ट्रेशन नं0– BR-19J-6717 को बिहार मद्य निषेध एवम् उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जप्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

11.7.18

समाहर्त्ता,

सहरसा।

11.7.18

समाहर्त्ता,

सहरसा।